# FORM NO.III

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

(1)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :56/2025**

**प्रार्थी** — **अप्रार्थी**

**डॉ. सोहनलाल गुप्ता** — **बनाम** — **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर**

**किस्म मुकदमा– तरमीम शुद्धि**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.05.2025 | प्रार्थी श्री डॉ. सोहनलाल गुप्ता पुत्र  पुत्र मगराज जाति अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ग्राम खारड़ा भाण्डू के खसरा नम्बर 104/16 की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में त्रुटिवश गलत स्थान पर प्रदर्शित हो रहा है। जबकि प्रार्थी की भूमि मौका अनुसार अन्य स्थान पर स्थित है। इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/67 दिनांक 25.04. 2025 के तहसीलदार झंवर को जांच हेतु लिखा गया है। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/भू.अ./2025/659 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में बताया कि खारड़ा भाण्डू के खसरा नम्बर 104/16 रकबा 0.4856 हैक्टयर खातेदार डॉ. सोहनलाल गुप्ता पुत्र  पुत्र मगराज हिस्सा 209/2428 जाति अग्रवाल सा. मकान नं. 430 लिंक रोड़ जोधपुर भू.स. 07 खातेदार बदस्तूर जमाबंदी दर्ज है। प्रार्थी डॉ. सोहनलाल द्वारा उक्त खसरे व कब्जे (मौका) के सम्बन्ध में दस्तावेज (यथ–रजिस्ट्री, नक्शा, सुपर इंपोज, पुराने लट्ठे की जारी नकल इत्यादि) प्रस्तुत किए गए। उपस्थित मौतबरान् से भी मौके पर निर्मित दुकान, चार दिवारी के सम्बन्ध में पुछताछ की गई तो उन्होने इसे 104/16 का भाग होना बताया। DILRMP के तहत तरमीम करते समय त्रुटिवश इस खसरे को खसरा नम्बर 16 के अन्य भाग में कर दिया गया। एवं इस खसरे के स्थान पर खसरा नम्बर 16/3 (NHAI) का विस्तार कर दिया गया जबकि 16/3 को रकबा 4.00 बीघा ही है व तरमीम में रकबा 07.00 बीघा हो गया। राजस्व रेकर्ड वर्तमान स्थिति इस खसरे की तरमीम 4.00 बीघा के स्थान पर 07.00 बीघा हो रखी है। मौके की वास्तविक स्थिति एवं प्रस्तावित शुद्धिकरण मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 के अनुसार है। जरिये नामा.सं. 10 दिनांक 31.03.65 खसरा नम्बर 16 से 3 बीघा अलग होकर 104/16 बना जिसकी तरमीमशुदा नकल तत्कालीन पटवारी द्वारा 216/13.01.1996 को जारी की गई। इस प्रकार DILRMP के तहत हुई गलत तरमीम को उपर्युक्त दर्शाए गए मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04. 2025 अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन एंव प्रस्तुत रेकर्ड, मौका एंव उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार झवंर को आदेश दिया जाता है। कि ग्राम खारड़ा भाण्डू के खसरा नम्बर 104/16 रकबा 0.4856 हैक्टयर की तरमीम रेकर्ड दुरूस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी | |